उत्तराखण्ड शासन
पंचायतीराज अनुभाग–1
संख्याः 954 / XII / 2015–92(07) / 2005 टी॰सी॰–II
देहरादून दिनांक 28 सितम्बर, 2015

कार्यालय–ज्ञाप

वेतन विसंगति समिति की 27वीं बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में वित्त विभाग के परिपत्र संख्याः 131 / XXVII(7)40(27) / 2015, दिनांक 31.7.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत सृजित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पद का वेतननान रूपये 5200–20200 ग्रेड वेतन 2000 पी॰बी॰–1 के स्थान पर वेतनमान रूपये 5200–20200 ग्रेड वेतन 2400 पी॰बी॰–1 में तत्काल प्रभाव से उच्चीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों हेतु सुसंगत सेवानियमावली में शैक्षिक योग्यता / अर्हताओं आदि में उपर्युक्त परिपत्र में की गयी अपेक्षानुसार यदि संशोधन अपेक्षित हों तो यथा समय / यथावांछित संशोधन कर लिया जाय।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्याः 574 / XXVII(7) / 2015, दिनांक 28 सितम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

(विनोद फोनिया)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 954 (1) / XII / 2015–92(07) / 2005 टी॰सी॰–II तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
पंचायतीराज अनुभाग
संख्या– /XII/2014/92(07)2005 टी0सी0–III
दिनांक देहरादून 4 मार्च,2014

कार्यालय ज्ञाप

वेतन विसंगति समिति की दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 को सम्पन्न हुई 23 वीं बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम मे वि0वि0 के पत्र संख्या–58/XXVii(7)40(23)/2013,दिनांक 07 फरवरी, 2014 द्वारा संसूचित निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत सृजित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पद का वेतनमान तत्काल प्रभाव से रूपये 5200–20200 ग्रेड पे– रू0 1900 पी0बी0–1 के स्थान पर वेतनमान रूपये 5200–20200 ग्रेड वेतन रूपये 2000 पी0बी0–1 में अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–269/XXVii(7), दिनांक 3/3/2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या 587 /XII/2014/92(07)2005 टी0सी0–IIIतद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. आयुक्त कुमायू/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी ।
2. समस्त, जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, पंचायतीराज निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
4. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जे0एल0शर्मा)
उप सचिव।

संख्या–732/XII/2011/86(07)/2010

प्रेषक,

डॉ0पी0एस0गुंसाई,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पंचायतीराज अनुभाग देहरादून दिनांक 9 सितम्बर, 2011

विषय– **वेतन विसंगति समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) के पदों पर रू0 9300–34800 वेतन बैण्ड में रू0 4200 ग्रेड वेतन के उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनादि के पुनरीक्षण /विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति की संस्तुतियों के क्रम में वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–89/XXVII(7)40(12)/2011 दिनांक 19 जुलाई 2011 के संदर्भ में पंचायतीराज विभाग के सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) के पदों पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड–1 ₹ 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन ₹ 2800 के स्थान पर वेतन बैण्ड–2 ₹ 9300–34800 ग्रेड वेतन ₹ 4200 दिनांक 01 जनवरी, 2006 से काल्पनिक रूप से स्वीकृत करते हुए उसका वास्तविक लाभ तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन के फलस्वरूप उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में आने वाले पदधारकों का वेतन निर्धारण यदि पदधारक का वेतन पुनरीक्षित किये जा रहे वेतनमान के न्यूनतम पर नहीं आता है तो न्यूनतम पर ग्रेड पे के अन्तर की धनराशि जोड़कर अनुमन्य होगी और यदि पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम से ऊपर हैं तो मात्र ग्रेड पे के अन्तर की धनराशि जोड़कर आगणित किया जायेगा तथा वेतनमान निर्धारण हेतु अन्य नीतिगत बिन्दु शासनादेश संख्या–395/Xxvii(7)/2008, दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 तथा तत्क्रम में समय–समय पर निर्गत स्पष्टीकरण आदेश में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–533/xxvii(7)/2011 दिनांक 7 सितम्बर, 2011 में दी गयी उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डॉ0पी0एस0गुंसाई)
सचिव।

संख्या– (1)/XII/2011/86(07)/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, ओबेराय बिल्डिंग सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3– सहायक निदेशक, निदेशालय पंचायतीराज, उत्तराखण्ड।
3– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
6– वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सी0एम0एम0बिष्ट)
अपर सचिव

सहा० निदेशक

निदेशक
13/9/2011

154
13/9/11